Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- अपराध संख्या 164/2024 विरूद्ध राजीव गर्ग संयुक्त आयुक्त एवं महाप्रबंधक जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ में ए.सी.बी. द्वारा चालान पेश।

जयपुर, दिनांक 6 अगस्त, 2026। आरोपी **राजीव गर्ग संयुक्त आयुक्त एवं महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र प्रतापगढ** द्वारा एक लोक सेवक होते हुए अपने पद का दुरूपयोग कर परिवादी का 7 वें वेतनमान का स्थिरीकरण एवं पेंशन प्रकरण का भुगतान तथा ऐरीयर का भुगतान करने की एवज में दिनांक 30-07-2024 को रिश्वत राशि **3,00,000/- रूपये** की मांग कर दिनांक 03-08-2024 को 3,00,000/- रूपये की रिश्वत राशि ग्रहण करने पर आरोपी राजीव गर्ग को एसीबी प्रतापगढ द्वारा रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। जिस पर अपराध संख्या 164/2024 धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यशा संशोधित 2018) दर्ज हुआ। जिसका अनुसंधान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिम्मत चारण भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजसमन्द द्वारा किया जाकर आरोपी के विरूद्ध शासन सचिवालय जयपुर से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की जाकर कार्यालय महानिदेशक भ्र.नि.ब्यूरो राज. जयपुर से चार्जशीट संख्या 63/2026 दिनांक 16.03.2026 प्राप्त हुई।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान के **उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम डॉ. रामेश्वर सिंह** के सुपरवीजन में ए.सी.बी. चौकी राजसमन्द के प्रभारी अधिकारी **श्री हिम्मत चारण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक** द्वारा आरोपी राजीव गर्ग संयुक्त आयुक्त एवं महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र प्रतापगढ के विरूद्ध श्रीमान विशिष्ठ न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम न्यायालय प्रतापगढ में दिनांक 05.08.2026 को चालान पेश किया गया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **टोल फ्री नम्बर 1064 एवं व्हाट्सएप हेल्पलाईन नम्बर 9413502834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी सहायता करेगी।